UPKN010054482026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

पीठासीन अधिकारीः शुचि श्रीवास्तव ..... ID–UP 6109

क्रिमिनल प्रकीर्ण वाद संख्या–1278/2026

शिवदेवी पत्नी नंदू निवासिनी–317 चेक सं0–121 महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे, विजय नगर कालोनी, हंस नगर, कानपुर नगर।

बनाम

1– राजेन्द्र सिंह, पुत्र जान डब्लू सिंह

2– चारू सिंह, पत्नी राजेन्द्र सिंह

3– आनंदराज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह

निवासीगण–377/डी, डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ कानपुर नगर।

4– वीरेन्द्र सिंह, पुत्र जान डब्लू सिंह

5– वंदना सिंह, दोनो पुत्री वीरेन्द्र सिंह

6– ज्योति सिंह

निवासीगण–131/5, शास्त्री नगर कानपुर नगर।

निस्तारण प्रार्थनापत्र धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस.

दिनांक–31.07.2026

1– आवेदिका शिवदेवी का संक्षिप्त कथन है कि आवेदिका हरिजन (जमादार) जाति की महिला है एवं श्रीमती ज्योसफिन सिंह पत्नी रावेन्द्र सिंह निवासिनी–132/7, शास्त्री नगर, कानपुर नगर के यहाँ लगभग 17 वर्षो से घरेलू काम कर रही है। दिनांक 17.04.2026 को सुबह लगभग 10.00 बजे आवेदिका काम करने गयी थी तो राजेन्द्र सिंह, चारू सिंह, आनंदराज सिंह निवासी–377/डी, डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ कानपुर नगर एवं वीरेन्द्र सिंह, वंदना सिंह, ज्योति सिंह निवासीगण–131/5, शास्त्री नगर कानपुर नगर ज्योसफिन के घर के बाहर सरकारी जगह पर अतिक्रमण करके अवैध कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य करवा रहे थे। ज्योसफिन सिंह एवं उनके परिवार के लोग अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे। आवेदिका द्वारा भी अवैध निर्माण का विरोध करते हुये अवैध निर्माण एवं गाली गलौज करने से मना किया तो उपरोक्त राजेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, आनंदराज सिंह, वंदना सिंह, ज्योति सिंह एवं चारुशीला सिंह ने आवेदिका को जाति सूचक गन्दी गन्दी गालियां देते हुये कहा साली मादरचोद जमादारिन है तेरी औकात कैसे हुये

बोलने की ज्यादा बात करेगी तो तेरे मुँह में जूता घुसेड़ देगें। आवेदिका द्वारा गालियां देने से मना किया तो उपरोक्त लोगों ने आवेदिका को दौड़ा लिया। आवेदिका भागकर ज्योसफिन सिंह के घर में घुस गयी नहीं तो उपरोक्त लोग आवेदिका को जान से मार डालते। उक्त घटना को अनीता पाठक, शेखर पाठक एवं ज्योसफिन सिंह आदि बहुत से लोगों ने देखा व सुना है। आवेदिका ने थाना काकादेव जनपद कानपुर नगर में उक्त घटना की लिखित शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। आवेदिका ने उपरोक्त घटना की शिकायत जरिये स्पीड पोस्ट थानाध्यक्ष महोदय काकादेव व पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, कानपुर नगर को दी परन्तु आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने की याचना की गई है।

2– आवेदिका की ओर से अपने कथन के सर्मथन में शपथपत्र तथा प्रलेखी साक्ष्य के रूप में जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, डाक रसीद, आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल किए गए है।

3– थाने की आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4– मैंने आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका ने घटना के समय विपक्षीगण द्वारा आवेदिका को जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाया है। आवेदिका को समस्त तथ्यों की जानकारी है। विपक्षीगण का नाम व पता ज्ञात है। अतः मामलें के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 नम्बर 14443/2022 नरेश कुमार बाल्मीकि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्णीत दिनांकित–17.10.2022 तथा सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 CR L.J 472 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के आलोक में प्रार्थनापत्र धारा 173 (4) बी एन एस एस को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका शिवदेवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी एन एस एस परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी एन एस एस दिनांक 30.09.2026 को पेश हो।

(शुचि श्रीवास्तव)
(ID–UP 6109)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
कानपुर नगर।

दिनांक–31.07.2026

Digitally signed by Shuchi Srivastava
Date: 2026.08.03 11:09:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court